विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 193/वि0स0/संसदीय/105(सं)/2016
लखनऊ, दिनांक 03 मार्च, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री गया चरण दिनकर, नेता, बहुजन समाज पार्टी, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के विचारार्थ श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध दिनांक 4 जुलाई, 2016 को दायर की गयी याचिका पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2017 को किया गया विनिश्चय एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता हैः-

अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

श्री गया चरण दिनकर द्वारा श्री राजेश त्रिपाठी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिका पर

निर्णय

1. श्री गया चरण दिनकर, नेता, उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी, विधान मण्डल दल एवं नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 जुलाई, 2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत की गयी है।

2. याची द्वारा यह कहा गया है कि विपक्षी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दिनांक 6 मार्च, 2012 को चुना गया था। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और इसे निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनैतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. याची द्वारा यह कहा गया है कि वर्ष 2012 के विधान सभा के आम चुनाव में विपक्षी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चिल्लूपार विधान सभा, जिला गोरखपुर से उत्तर प्रदेश की 16वीं विधान सभा में विधायक निर्वाचित हुए थे। जिसकी अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा 6 मार्च, 2012 को जारी की गई थी एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा जारी की गई दलीय सूची में विपक्षी का नाम बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में दर्ज है।

4. याची द्वारा यह कहा गया है कि ''भारत का संविधान'' की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2(1)(क) में इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई

सदन का सदस्य जिस पार्टी के टिकट पर चुना गया है यदि उस पार्टी से स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देता है तो वह विधान सभा का सदस्य होने से निरर्ह हो जायेगा। ***"दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता***–*(1) [पैरा 4 और 5] के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा–(क) यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल की, जिसका वह सदस्य है, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है,"*

5. याची द्वारा यह अभिकथित किया कि विपक्षी जो कि उत्तर प्रदेश 16वीं विधान सभा में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सदस्य विधान सभा चुने गये थे, उन्होंने स्वेच्छा से दिनांक 11 जून, 2016 को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है, जिसकी खबर दिनांक 11 जून, 2016 को दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई थी तथा विपक्षी द्वारा यही सन्देश अपने फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया था। याची द्वारा समाचार की छाया प्रति संलग्न की गई है।

6. याची द्वारा यह भी अभिकथित किया कि विपक्षी द्वारा बसपा से अलग होने के विषय में सन्देश प्रसारित करने के उपरान्त दिनांक 13 जून, 2016 को बड़हलगंज, गोरखपुर में अपनी विधान सभा क्षेत्र में अपने समर्थकों को सम्बोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गम्भीर आरोप लगाये और अपनी पार्टी छोड़ने के कारण और उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी में जाने के संकेत भी अपने समर्थकों को दिया गया। दिनांक 14 जून, 2016 को दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला ने भी उपरोक्त खबर को प्रकाशित किया गया जिसकी प्रति याची द्वारा संलग्न की गई है।

7. याची द्वारा यह भी अभिकथित किया कि श्री राजेश त्रिपाठी का यह कृत्य पूर्ण रुप से दर्शाता है तथा अपने आप में यह साबित करता है कि श्री राजेश त्रिपाठी ने अपनी मूल पार्टी अर्थात् बहुजन समाज पार्टी को स्वयं स्वेच्छा से छोड़ दिया है, और इस प्रकार से श्री राजेश त्रिपाठी भारतीय संविधान के दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य बने रहने से निरर्ह हो गये हैं।

8. याची द्वारा अभिकथित किया गया है कि ऊपर लिखे तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी ने स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिनांक 11 जून, 2016 को छोड़ दी है। अतः वह दिनांक 11 जून, 2016 से भारतीय संविधान के दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह हो गये हैं तथा अब उन्हें विधान सभा के सदस्य के रुप में वेतन भत्ते आदि का कोई भी लाभ दिनांक 11 जून, 2016 से अनुमन्य नहीं हैं।

9. अंत में याची श्री गया चरण दिनकर द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि श्री राजेश त्रिपाठी को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–7 के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेंते हुये भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के सपठित अनुच्छेद 191(2) के अधीन विधान सभा की सदस्यता दिनांक 11 जून, 2016 से निरर्ह घोषित किया जाये तथा यह भी घोषित किया जाये कि वह दिनांक 11 जून, 2016 से

विधान सभा सदस्य के रुप में किसी भी सुविधा, भत्ता आदि हेतु अर्ह नहीं रहेंगे।

10. याचिका के समस्त प्रस्तरों को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत सत्यापित किया गया है तथा याचिका के साथ याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। याची की ओर से संलग्नकों के रूप में विभिन्न समाचार पत्रों की प्रतियॉँ संलग्न की गयी हैं। याचिका के साथ संलग्न अभिलिखित साक्ष्य/उपाबंधों को भी प्रमाणित किया गया है।

11. विपक्षी द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2016 को अपने प्रार्थना-पत्र के माध्यम यह अवगत कराया गया है कि पत्र के विलम्ब से मिलने के कारण एक सप्ताह में प्रतिउत्तर देने में बिलम्ब हुआ। अतः उक्त पत्र के जबाव हेतु एक माह का समय प्रदान किया जाये।

12. याची द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2016 को अपने अगले पूरक प्रार्थना-पत्र में अभिकथित किया गया कि याचिका प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त विपक्षी राजेश त्रिपाठी द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2016 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, श्री केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष विभिन्न पार्टियों के कई अन्य विधायकों के साथ भाजपा की विधिवत् सदस्यता ग्रहण की, जिसकी खबर को इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रसारित किया गया तथा सभी समाचार पत्रों में दिनांक 12 अगस्त, 2016 को प्रमुखता से दिया गया। विपक्षी श्री राजेश त्रिपाठी की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, श्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ माला पहने हुए फोटो भी प्रकाशित की गयी।

13. याची द्वारा अभिकथित किया गया कि विपक्षी ने अपने मूल राजनैतिक दल बहुजन समाज पार्टी को त्याग देने के उपरान्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना यह सिद्ध करता है कि उनके द्वारा स्वेच्छा से अपने मूल राजनैतिक दल का त्याग किया गया है और इस सम्बन्ध में और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

14. विपक्षी श्री राजेश त्रिपाठी विपक्षी द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2016 को अपने प्रार्थना-पत्र के माध्यम यह अवगत कराया गया कि उनके एक अतिनिकटस्थ के बच्चे को इंसेफेलाइटिस हो जाने के कारण उनके द्वारा एक माह के अन्दर जबाब देने का अनुरोध किया गया है।

15. दिनांक 31 अगस्त, 2016 को नियत तिथि पर सुनवाई के समय विपक्षी के प्रार्थना-पत्र का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की अगली तिथि 13 सितम्बर, 2016 नियत की गयी।

16. दिनांक 13 सितम्बर, 2016 की सुनवाई अपरिहार्य कारणो से स्थगित करते हुये सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को नियत की गयी।

17. विपक्षी श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अपने प्रार्थना-पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि याचिका की सुनवाई के लिए 13 सितम्बर, 2016 को उपस्थित होकर अपना पक्ष

रखना था परन्तु अवकाश होने तथा कागजात तैयार कराने में विलम्ब के कारण हमें कुछ समय प्रदान किया जाये।

18. विपक्षी श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2016 को अपने प्रतिवाद–पत्र के माध्यम से यह अभिकथित किया गया कि याची का यह कहना कि विपक्षी ने 11 जून, 2016 को स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ दी, सरासर गलत एवं भ्रामक है। याची ने अपने कथन के समर्थन में जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, उसमें कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि विपक्षी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है।

19. विपक्षी का अभिकथन है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है और उसका कोई भी कथन जो स्वस्थ, आलोचना अथवा प्रशंसा हो, उसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि उपरोक्त टिप्पणी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने न तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की और न ही विपक्षी ने पार्टी के समक्षः अपना त्याग–पत्र प्रस्तुत किया। अतः कतिपय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि विपक्षी ने स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी से अपने को पृथक कर लिया है। याचिका के प्रस्तर 6 का कथन जैसा वर्णित है स्वीकार नहीं है। याची ने दैनिक हिन्दुस्तान दिनांक 14 जून, 2016 में जिस समाचार प्रकाशन को आधार बनाया है, उसी में इस बात का उल्लेख है ‘‘अभी किसी दल की सदस्यता नहीं ली है’’। पृष्ठ–17 पर अंकित समाचार पत्र में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि विपक्षी ने स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है।

20. अन्त में विपक्षी श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा यह कहा गया कि विपक्षी ने न तो स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता से त्याग किया है और न ही बहुजन समाज पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की है। अतः संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) अथवा (ख) के अन्तर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता।

21. दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को याचिका की सुनवाई के समय याची के अधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई की अगली तिथि 03 अक्टूबर, 2016 को नियत की गयी।

22. दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 को सुनवाई के समय विपक्षी के उत्तर पर याची द्वारा प्रति उत्तर दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 19 अक्टूबर, 2016 को नियत की गयी।

23. दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 की सुनवाई अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुये सुनवाई की तिथि दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को नियत की गयी।

24. विपक्षी श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को अपने पूरक प्रतिवाद–पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि याची ने अपनी याचिका में ऐसा कोई भी ग्राह्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि विपक्षी ने स्वेच्छा से बहुजन समाज

पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है और न ही याचिका के विरोध में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद–पत्र से याची द्वारा इन्कार किया गया है। विपक्षी को कतिपय समाचार पत्रों के संस्करण से तथा ई0टी0वी0 के लगातार प्रसारण से यह ज्ञात हो गया कि विपक्षी को बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है, जिसकी सूचना विपक्षी ने पार्टी कार्यालय जाकर प्राप्त की। अतः निष्कासन के बाद विपक्षी बसपा का सदस्य नहीं है, ऐसी स्थिति में विपक्षी की वैधानिक स्थिति असम्बद्ध विधान सभा सदस्य की हो गयी है।

25. अन्त में विपक्षी द्वारा अभिकथित किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी विधान मण्डल दल विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता) नियमावली, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक रुप से बाध्य है कि विधान मंडल दल सदस्य के विरूद्ध कृत अनुशासनात्मक कार्यवाही से मा0 अध्यक्ष, विधान सभा एवं उनके सचिवालय को निर्धारित प्रपत्र पर अवगत करायें। उत्तरदाता के निष्कासन के बाद विधिक कार्यवाही न करने के लिए बहुजन समाज पार्टी विधान मंडल दल ही जिम्मेदार है क्योंकि विपक्षी असम्बद्ध सदस्य था अतः किसी भी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पात्र है और उत्तरदाता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने तथा सम्बन्धित समाचार पत्रों के प्रकाशन को स्वीकार करता है।

26. दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को याचिका की सुनवाई के समय याची के अधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई की अगली तिथि 18 नवम्बर, 2016 को नियत की गयी।

27. याची द्वारा विपक्षी के पूरक प्रतिवाद का प्रतिउत्तर दिनांक 17 नवम्बर, 2016 दिया गया। याची द्वारा अभिकथित किया गया कि विपक्षी द्वारा 11 जून, 2016 को जो संदेश दिया था वह दल (बहुजन समाज पार्टी) त्यागने के विषय में था जिसकी पुष्टि याचिका की संलग्नक–3 के अवलोकन से स्पष्ट है। याची ने यह भी अभिकथित किया कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा विपक्षी को कभी भी निष्कासित नहीं किया गया है अपितु उनके दल त्यागने के उपरान्त उनके विरुद्ध वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई और याचिका के लम्बित रहने के दौरान विपक्षी द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना स्वयं में याचिका में कहे गये तथ्यों को पुष्ट करता है।

28. याची ने यह भी अभिकथित किया कि विधिक कार्यवाही के रुप में ही यह याचिका प्रस्तुत की गई है तथा विपक्षी द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था और वे असम्बद्ध सदस्य थे। याची का पुनः कहना है कि विपक्षी ने दिनांक 11 जून, 2016 को अपने मूल राजनैतिक दल (बहुजन समाज पार्टी) स्वेच्छा से त्याग दिया है तथा दिनांक 11 अगस्त, 2016 को भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ स्थित राज्य मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण की जिसे इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा प्रिन्ट मीडिया द्वारा व्यापक रुप से प्रसारित किया गया।

29. अन्त में याची ने यह अभिकथित किया है कि विपक्षी श्री राजेश त्रिपाठी दिनांक 11 जून, 2016 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह हो गये हैं। अतः यह न्याय में होगा कि श्री राजेश त्रिपाठी को दिनांक 11 जून, 2016 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाये।

30. दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी के अधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई की तिथि 27 नवम्बर, 2016 नियत की गयी।

31. दिनांक 27 नवम्बर, 2016 को याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी के अधिवक्ता की अस्वस्थता के कारण सुनवाई की अन्तिम तिथि 05 दिसम्बर, 2016 नियत की गयी।

32. दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 की सुनवाई अपरिहार्य कारणो से स्थगित करते हुये दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को सुनवाई नियत की गयी।

33. दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को याचिका की सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के उपरान्त सुनवाई की अन्तिम तिथि 27 दिसम्बर, 2016 नियत की गयी।

34. दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को याचिका पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त याचिका पर सुनवाई पूरी हुई।

35. मैंने पत्रावली पर सुसंगत अभिलेखों तथा साक्ष्यों का अवलोकन किया। याची द्वारा प्रतिपक्षी श्री राजेश त्रिपाठी के विरुद्ध मुख्य रुप से इस आधार पर निरर्हता का अनुरोध किया गया कि उन्होंने स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता त्याग दी है तथा प्रतिपक्षी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली गयी है। पत्रावली के अवलोकन में मैंने यह पाया कि श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा दिनांक 11 जून, 2016 को बहुजन समाज पार्टी छोड़ने से सम्बन्धित समाचार दिनांक 14 जून, 2016 के समाचार पत्रों में छपा है। प्रतिपक्षी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने से सम्बन्धित समाचार दिनांक 12 अगस्त, 2016 के समाचार पत्रों में छपा है तथा विपक्षी श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की बात को स्वीकार किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि श्री राजेश त्रिपाठी दिनांक 11 जून, 2016 को बहुजन समाज पार्टी त्याग दी तथा दिनांक 11 अगस्त, 2016 को अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख सदस्यता ग्रहण कर ली है।

36. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) की परिधि एवं उसके विस्तार के संदर्भ में **'किहोटोहोलोहान, रवि एस0 नायक एवं जी0 विश्वनाथन (1996) 2 एस0सी0सी0'** के मामलों में पारित निर्णयों के अंतर्गत व्याख्या प्रदर्शित की है तथा यह अवधारित किया है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्यागने का कृत्य प्रत्यक्ष (Express) अथवा विवक्षित (Implied) हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार सदन का कोई सदस्य विवक्षित रूप

से अपने आचरण द्वारा भी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग कर सकता है।

37. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि एस0 नायक प्रति यूनियन ऑफ इंडिया (ए0आई0आर0 1994, एस0सी0 1558)** में पारित निर्णय के अंतर्गत समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों को साक्ष्य के रूप में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिये जाने के विषय में मान्यता प्रदान की है जोकि निम्नवत् है।

"As regards the reference to the news papers in the impugned order passed by the Speaker it appears that the Speaker, in his order, has only referred to the photographs as printed in the newspapers showing the appellants with Congress (I) MLAs and Dr. Barbosa, etc. when they had met the Governor with Dr. Wilfred D'Souza who had taken them to show that he had the support of 20 MLAs. The High Court has rightly pointed out that the Speaker, in referring to the photographs was drawing an inference about a fact which had not been denied by the appellants themselves, viz., that they had met the Governor along with Dr. Wilfred D'Souza and Dr. Barbosa on December 10, 1990 in the company of congress (I) MLAs, etc. The talk between the Speaker and the Governor also refers to the same fact. In view of the absence of a denial by the appellants of the averment that they had met the Governor on December 10, 1990 accompanied by Dr. Barbosa and Dr. Wilfred D'Souza and Congress MLAs the controversy was confined to the question whether from the said conduct of the appellants an inference could be drawn that they had voluntarily given up the membership of the MGP. The reference to the newspaper reports and to the talk which Speaker had with the Governor, in the impugned order of disqualification does not, in these circumstances, introduce an infirmity which would vitiate the said order as being passed in violation of the principles of natural justice."

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई उपर्युक्त अवधारणाओं से यह स्पष्ट है कि समाचार–पत्रों को दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। प्रतिपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उपर्युक्त समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों का कोई खण्डन किया गया हो, अतः याची द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य एवं तर्क विधिक रूप से मान्य है।

39. माननीय **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राणा प्रति श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, (ए0आई0आर0/एस0सी0 1305, 2007)** में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि निरर्हता उसी दिन से लागू एवं प्रभावी मानी जायेगी जिस दिन से सम्बन्धित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश सुसंगत हैं।

"As we see it, the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore, the act that constitutes disqualification in terms of paragraph 2 of the Tenth

Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that regard may be taken in the case of voluntarily giving up by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator. Similarly, The fact that the party could condone the defiance of a whip within 15 days or that the Speaker takes the decision only thereafter in those cases, cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore in the background of the object sought to be achieved by the Fifty-Second Amendment of the Constitution and on a true understanding of paragraph 2 of the Tenth Schedule, with reference to the other paragraphs of the Tenth Schedule, the position that emerges is that the Speaker has to decide the question of disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision ex post facto. The fact that in terms of paragraph 6 a decision on the question has to be taken by the Speaker or the Chairman, cannot lead to a conclusion that the question has to be determined only with reference to the date of the decision of the Speaker. An interpretation of that nature would leave the disqualification to an indertiminate point of time and to the whims of the decision making authority. The same would defeat the very object of inacting the law. Such an interpretation should be avoided to the extent possible. We are, therefore, of the view that the contention that only on a decision of the Speaker that the disqualification is incurred, cannot be accepted."

40. प्रतिपक्षी द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि क्योंकि बहुजन समाज पार्टी द्वारा उनको निष्कासित कर दिया गया था। अतः भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त भी वह निरर्हता से ग्रसित नहीं माने जायेंगे। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जी0 विश्वनाथन प्रति माननीय अध्यक्ष तमिलनाडु, विधान सभा [1996(2)एस0एस0सी0 353] एवं अन्य में स्पष्ट विधि व्यवस्था प्रतिपादित करते हुए यह अवधारित किया है कि निष्कासन के पश्चात् भी यदि कोई सदस्य अपने मूल राजनीतिक दल से भिन्न किसी अन्य राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो उसके सम्बन्ध में दसवीं अनुसूची के सुसंगत प्रावधान आकर्षित होंगे एवं यह माना जायेगा कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के निम्नलिखित अंशों से स्पष्ट है :-

"It appears that since the explanation to para 2 (1) of the Tenth Schedule provides that an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party, if any, by which he was set up as a candidate for election as such member, such person so set up as a candidate and elected as a member, shall continue to belong to that party. Even if such a member is thrown out or expelled from the party, for the purposes of the Tenth Schedule he will not cease to be a member of the political party that had set him up as a candidate for the election. He will continue to belong to that political party even if he is treated as 'unattached'. The further question is when does a person "voluntarily give up" his membership of such political party, as provided in para 2(1)(a)? The act of voluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied. When a person who has been thrown out or expelled from

the party which set him up as a candidate and got elected, joins another (new) party, it will certainly amount to his voluntarily giving up the membership of the political party which had set him up as a candidate for election as such member.

41\. भारत का संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को समाहित किया गया था जिसका कि मुख्य रूप से यह उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार जिस दल से प्रत्याशी निर्वाचित होता है उसके अतिरिक्त अन्य दल के प्रति यदि वह आस्था अथवा प्रतिबद्धता प्रकट करता है तो वह उपयुक्त नहीं है। जैसाकि रवि एस0 नायक के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया जा चुका है। निरर्हता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आचरण के अवधारित पर आधारित हो सकता है। अतः श्री राजेश त्रिपाठी को 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निरर्हता से ग्रसित माना जायेगा।

42\. उपर्युक्त प्राविधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि कोई सदस्य जिस दल से निर्वाचित हुआ है उसके अतिरिक्त किसी दल में सम्मिलित होता है तो वह निरर्हता से ग्रस्त होगा, चूंकि श्री राजेश त्रिपाठी नें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिनांक 11 जून, 2016 को ग्रहण कर ली है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं। वर्णित स्थिति में श्री राजेश त्रिपाठी के मामले में 10वीं अनुसूची के प्रस्तर-2 के प्राविधान आकर्षित होते हैं तद्नुसार वह उसी दिनांक से निरर्ह मानें जायेंगे, जिस दिनांक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

43\. प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य के रूप में याची द्वारा विभिन्न समाचार-पत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा-2 दल परिर्वतन के आधार पर निरर्हता-(1) पैरा-4 और पैरा-5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हरित होगा जिसमें -

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख)..............

चूंकि श्री राजेश त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट है कि श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को त्याग दिया है। अतः श्री राजेश त्रिपाठी के सम्बन्ध में 'भारत का संविधान' की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर(2)(1)(क) में वर्णित प्रावधान आकर्षित होते हैं एवं इसके फलस्वरूप श्री राजेश त्रिपाठी 16वीं विधान सभा की सदस्यता से उस दिनांक से निरर्हित माने जायेगें जिस दिनांक से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुये।

44. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्री राजेश त्रिपाठी दिनांक 11 अगस्त, 2016 से निरर्ह मानें जायेंगे, क्योंकि उसी दिनांक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस आशय का समाचार दिनांक 12 अगस्त, 2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिससे कि यह स्पष्ट है श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा अपने मूल राजनीतिक दल, बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी गयी। वर्णित स्थिति में मेरा यह सुविचारित समाधान है कि श्री राजेश त्रिपाठी के सम्बन्ध में भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रस्तर–2 के प्राविधान आकर्षित होते हैं जिसके फलस्वरूप श्री राजेश त्रिपाठी दिनांक 11 जून, 2016 को निरर्हता से ग्रस्त हो गये।

आदेश

श्री गया चरण दिनकर, नेता, बहुजन समाज पार्टी विधान मण्डल दल द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को स्वीकार किया जाता है। श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र–328, चिल्लूपार, विधान सभा क्षेत्र जनपद–गोरखपुर को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) के अंतर्गत दिनांक 11 जून, 2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाता है।

दिनांक : 03 मार्च, 2017

माता प्रसाद पाण्डेय,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 193(1–18)/वि0स0/संसदीय/105(सं)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :–-

1–महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव को महामहिम राज्यपाल की सूचनार्थ,

2–मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,

3–मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

4–समस्त मा0 सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

5–सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,

6–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

7–प्रमुख सचिव, विधान सभा,

8–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग–1,

9–प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

10–सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,

11–सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
12–श्री गया चरण दिनकर, नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
13–श्री राजेश त्रिपाठी, 21/6, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ,
14–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क अनुभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
15–महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली,
16–महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,
17–जिलाधिकारी, गोरखपुर,
18–विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार चौबे,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–एल0 295 विधान सभा (471)–06-03-2017–1000 प्रतियां–कम्प्यूटर।